

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 154/11-सी-FP/UP/Others/13877/2015, लखनऊ, दिनांक: जनवरी 3, 2020

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
आगरा जोन, आगरा।

विषय:- कार्योपरान्त स्वीकृति (Ex-post Facto) के अन्तर्गत अलीगढ़-राया-मथुरा मार्ग (एस0एच0-80) किमी0 26.320 की दायीं पट्टी पर ग्राम-बिसावली के खसरा सं0-537 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.075012 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 07 वृक्षों के पातन की अनुमति। (प्रस्ताव सं0-FP/UP/Others/13877/2015)

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी0/यू0पी0/06/40/2017/एफ0सी0/46, दिनांक-17.07.2017 एवं इस कार्यालय का पत्रांक-1178/11सी-FP/UP/Others/13877/2015 दिनांक-11.12.2019 तथा आपका पत्रांक-2213/14-1 दिनांक 24.01.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न कर आपने अपने पत्रांक-2213/14-1 दिनांक 24.01.2020 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है, जिसका परीक्षण किया गया, परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गया है:-

- 1- आपके द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र में भारत सरकार की समस्त आपत्तियों का समेकित निराकरण नहीं किया है।
- 2- भारत सरकार की आपत्ति बिन्दु सं0-4 के क्रम में के0एम0एल0 फाईल में संशोधन नहीं किया गया है।
- 3- क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है, किन्तु प्राक्कलन में चरणों के नाम त्रुटिपूर्ण अंकित है। अतः संशोधित कर संलग्न करते हुए ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।
- 4- भारत सरकार की आपत्ति बिन्दु सं0-6 के क्रम में आपके द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्रमशः 0.07 हे0 एवं 0.9 हे0 का चयन किया गया है जिसमें पूर्व से ही लगभग पूरे क्षेत्रफल में पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं। अतः एक ही पैच का चयन कराकर संशोधित के0एम0एल0 फाईल अपलोड करें
- 5- ऑनलाइन भाग-2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का जियो रिफ्रेन्सड डिजिटल मैप तथा टोपोशीट अपलोड की गयी है जो सत्यापित नहीं है। अतः सत्यापित क्षतिपूरक वृक्षारोपण की जियो रिफ्रेन्सड डिजिटल मैप तथा टोपोशीट ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड करें।

उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियाँ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

कार्यालय वन संरक्षक
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़
इन्डेक्स सं0. 2313/14-1
दिनांक 03/02/2020

भवदीय
3111
(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या-154/11-सी FP/UP/Others/13877/2015, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़।
- 3- डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0 ए-5, से0-3, नोएड।

कार्यालय

वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़

पत्रांक 2405/14-1 दिनांक 03/02/2020

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक सा0वा0 प्रभाग अलीगढ़ को 31-1-2020 को भेजा जा चुका है। उक्त प्रभागीय निदेशक को लिखित रूप से सूचित किया जा चुका है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखों का निरीक्षण कर वांछित सूचना/अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न कर आपने अपने पत्रांक-2213/14-1 दिनांक 24.01.2020 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है, जिसका परीक्षण किया गया, परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गया है:-

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय वन संरक्षक
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

वन संरक्षक
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।